



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ विविध दिशानिर्देश/ 2026 नीति परिपत्र सं. 18.126/ 2026 दिनांक 02nd जुलाई, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. डिजाइन-23/9/2026- डिजाइन प्रभाग (कम्प्युटर सं. 313836 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Miscellaneous Guidelines /2026 Policy Circular No. 18.126 / 2026 dated 02nd July, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. DESIGN-23/9/2026 - Design Division (Comp No. 313836)}

विषय: राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के शहरी/निर्मित क्षेत्रों में पक्की नालियों की मशीनीकृत सफाई को लागू करने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी स्पष्टीकरण के संबंध में।

Sub: Clarifications regarding the delegation of Power to Implement Mechanized Drain Cleaning of Lined Drains in Urban / Built-up areas of National Highways/Expressways - Reg.

राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के शहरी/निर्मित क्षेत्रों में पक्की नालियों की मशीनीकृत सफाई के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश नीति परिपत्र संख्या 18.120/2026 दिनांक 24.05.2026 द्वारा जारी किए गए थे।

The Guideline regarding the implementation of Mechanized Drain Cleaning of Lined Drains in Urban / Built-up areas of National Highways/Expressways was issued vide Policy Circular no. 18.120/2026 dated 24.05.2026.

2. परिसर में विशेष उपकरणों की सूची के साथ-साथ नाली सफाई की विशिष्टता और आवृत्ति का उल्लेख किया गया था। मशीनीकृत नाली सफाई करते समय व्यय में परिवर्तन की गणना के लिए अपनाई जाने वाली मानक लागत का भी उल्लेख किया गया था।

The list of specialized equipment's along with the specification and frequency of drain cleaning was mentioned in the Policy Circular. The normative cost to be adopted for calculating variation while carrying out Mechanized Drain cleaning was also specified therein.

3. इस संबंध में, क्षेत्रीय इकाइयों से दिशानिर्देश की प्रयोज्यता तथा मशीनीकृत उपकरणों की तैनाती को अनुमोदन देने के लिए प्रत्यायित अधिकार के संबंध में कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, भाराराप्रा नीति परिपत्र संख्या 18.120/2026 दिनांक 24.05.2026 के अनुसार मशीनीकृत उपकरणों की तैनाती के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए जाते हैं:

In this regard, multiple queries have been received from Field Units regarding the applicability of the Guideline and the Authority delegated with Power to approve the deployment of the Mechanized Equipment. Accordingly, the following clarifications are made regarding the deployment of Mechanized Equipment in accordance to NHAI Policy Circular No. 18.120/2026 dated 24.05.2026:

Contd.....2/-

- i. नीति परिपत्र संख्या 18.120/2026 दिनांक 24.05.2026 के माध्यम से जारी मशीनीकृत उपकरणों की तैनाती संबंधी दिशानिर्देश ईपीसी, एचएएम, पीबीएमसी और बीओटी मोड के अंतर्गत आने वाले संचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) परियोजनाओं पर लागू होते हैं। The Guidelines issued via Circular No. 18.120/2026 dated 24.05.2026 for deploying the Mechanized Equipment applies to O&M (Operation and Maintenance) Projects under EPC, HAM, PBMC and BOT modes.
 - ii. इस परिपत्र में परिवर्तन के भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली मानक लागत निर्दिष्ट की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शहरी/बने हुए क्षेत्रों में इस प्रकार की मशीनीकृत नाली सफाई के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना था।
This Policy Circular specified the normative cost to be adopted for the payment of variation with the primary intention to encourage the implementation of such Mechanized Drain cleaning in Urban/ Built-up areas.
 - iii. परियोजना निदेशकों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रत्यायोजित किया जाता है कि वे यह संतुष्ट करने के बाद कि उपरोक्त उपकरण भाराप्रा नीति परिपत्र संख्या 18.120/2026 दिनांक 24.05.2026 में उल्लिखित विनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हैं, मशीनीकृत उपकरणों की तैनाती को अनुमोदन दें।
The Project Directors are delegated to be the Competent Authority to approve the deployment of the Mechanized Equipment after satisfying that the aforementioned equipment strictly comply with the specification outlined in NHAI Policy Circular No. 18.120/2026 dated 24.05.2026.
 - iv. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई परिसंपत्ति निर्माण नहीं है, इसे शक्तियों के प्रत्यायोजन और टीपीसी के प्रतिशत के रूप में सीओएस पर संचयी सीमा के उद्देश्य से, सामान्य अर्थ में सीओएस प्रतिशत की गणना के लिए संविदा/रियायत के दायरे में परिवर्तन (सीओएस) के रूप में नहीं माना जाएगा।
Keeping in view that there is no Asset creation, it shall not be construed as a Change of Scope (COS) in contract/concession in the routine sense for calculating COS percentage for the purpose of Delegation of Powers and cumulative cap on COS as a percentage of TPC.
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनाार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.